

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पं० न० 376 / 2025

दारासिंह
मोहरसिंह
साधुराम

पि० अमीलाल जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा हरि० ।

वादीगण

बनाम

गुड्डी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 19/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिलशर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय
हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर
साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती
है क वादी सं० 1 दारासिंह को प्राप्त आराजी - चकनं० 3 बी. आर. डबल्यू के खाता
सं० 4 के प० न० 226/316 मु० 38 किलानं० 21, 22/.506, प० न० 226/317 मु० 53
किलानं० 1,2/.506, प० न० 227/315 मु० 34 किलानं० 4/1 /.108 है० पूर्व दिशा,
4/2/.021 0, 4/3/.014 20, 5/1/.165, 5/2/.050, 5/3/.038, 6/1/.228,
6/2/.025, 7/.145 है० पूर्व दिशा, 14/145 है० पूर्व दिशा, 15/1 /.228, 15/2/
025 है०,


ख.वादी सं० 2 मोहरसिंह को प्राप्त आराजी- चक नं० 3 बी आर डबल्यू के खाता सं० 4
के प० न० 227/315 मु० 34 किलानं० 4/1/.082 है० पश्चिम दिशा, 4/2/.017,
4/3/.011 है० 7/.108 है० पश्चिम दिशा, 14/.108 है० पश्चिम दिशा, 3/1/.190
है० 3/2/.038 है०, 3/3/.025 है०, 8, 13/.506, 12/2/.127 है० तथा चकनं० 3
बी.आर.डबल्यू के खाता सं० 240/181 में अंकित कुल 10.120 है० आराजी में से वादी
सं० 1 दारासिंह, वादी सं० 3 साधुराम व प्रतिवादीया सं० 1 गुड्डी प्रत्येक के 1/120 हिस्सा
की आराजी

ग.वादी सं० 3 साधुराम को प्राप्त आराजी - चक नं० 3 बी.आर डबल्यू के खाता सं० 4
प० न०-226/317 मु० 53 किलानं० 9 से 12, 19, 20/1.518 है० इसी अनुसार
वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार वादीगण की आराजी का
खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे व चक नं० 3 बी.आर. डबल्यू
के खाता सं० 4/5 में से प्रतिवादीया सं० 1 गुड्डी का नाम कलमजन व चक नं० 3 बी

दिव्य

आर डबल्यू के खाता सं० 240/181 में से दारासिंह, गुड्डी व साधुराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

